न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

ादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

करण संख्याः- 554/2025

नवजोतसिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री मघरसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-ःवादी

बनाम्

1 दर्शनसिंह पुत्र श्री मघरसिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

2 परमजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3 सतवीर कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह पत्नी रमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरआरडब्लयु रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

4 अरश्दीप कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह पत्नी श्री रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 डीएल पी, नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

5 संदीप कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता वादी
2. श्री मदन मूण्ड - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. राज पैरोकार

-ः**निर्णय**ः-

दिनांक 18.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 24 केएसपी जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 66/49 के पत्थर नं0 103/331 (38) किला नं0 11 से 13, 18 से 23 कुल 2.277 हैक्टयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से व इसी चक 24 केएसपी जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 119/101 के पत्थर नं0 103/332 (41) किला नं0 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 6 से 25 कुल 6.325 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 126/6325 हिस्सा यानि 0.126 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दीयां सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिन्दु परिवार है तथा संयुक्त आय है। वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि उनकी स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता अर्थात वादी के दादा श्री मघर सिंह से प्राप्त विरास्तन सम्पति व इस संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीद की गई भूमि है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि विरास्तन सम्पति है व वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि विरास्तन सम्पति होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या

से 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है, लेकिन तेवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने उक्त भूमि में मिलने वाला अपना हक विरास्तन दी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग किया हुआ है जिसके पश्चात द-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के कदार है, लेकिन वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने किस्म कीमत के अनुसार कुल भूमि का बंट्वारा ज्या हुआ है व इस बंट्वारानुसार वादी चक 24 केएसपी के खाता संख्या 66/49 में दर्ज कुल .277 हैक्टयर कृषि भूमि में 1.265 हैक्टयर का व प्रतिवादी संख्या 2 शेष रही 1.012 हैक्टयर मि व खाता संख्या 119/101 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज .126 हैक्टयर भूमि की कदार खातेदार काश्तकार है व वादी इस आश्य की घोषणा पाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि का वाद-पत्र े चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज रवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम अराईयावाली हसील व जिला हनुमानगढ में स्पष्ट इन्कार हो गये यही बिनाये वाद है।

ह कि वाद-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- पये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया ावेः-

) कि घोषणा फरमाई जावे कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के ाम दर्ज तहसील हनुमानगढ के चक 24 केएसपी जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 6/49 में दर्ज कुल 2.277 हैक्टयर कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 119/101 में दर्ज 126 हैक्टयर कुल 2.403 हैक्टयर कृषि भूमि में से वादी चक 24 केएसपी के खाता संख्या 6/49 में दर्ज कुल 2.277 हैक्टयर कृषि भूमि में 1.265 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 2 शेष रही .012 हैक्टयर भूमि व खाता संख्या 119/101 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज .126 क्टयर भूमि की हकदार खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से लमजन किया जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी . 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित व वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा ावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध हीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस भयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व राजीनामा के दावा डिक्री किए ाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेशः</u>-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 24 केएसपी खाता संख्या 66/49 तादादी 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 119/101 तादादी हिस्सा 0.126 हैक्टयर कुल 2.403 हैक्टयर कृषि भूमि में से वादी को चक 24 केएसपी के खाता संख्या 66/49 में दर्ज कुल 2.277 हैक्टयर कृषि भूमि में 1.265 हैक्टयर का वादी को व प्रतिवादी संख्या 2 को शेष रही 1.012 हैक्टेयर भूमि व संयुक्त खाता संख्या 119/101 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज .126 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से

लमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया ाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की ब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म था नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा क्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल फ़्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक ....18.12.2025.. को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से नखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

ोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ